न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.2001/00053

1 अमर लाल पुत्र श्री स्व0 श्री कजोडीलाल जाति ब्राह्मण
2 प्रेमशंकर पुत्र श्री स्व0 श्री कजोडीलाल जाति ब्राह्मण
3 पुरूषोत्तम पुत्र श्री स्व0 श्री कजोडीलाल जाति ब्राह्मण
निवासीगण बालीता तह0 लाडपुरा जिला कोटा
4 रामभरोसी पुत्री श्री कजोडी लाल पत्नि श्री छीतरलाल
5 चन्दा बाई पुत्री श्री कजोडी लाल पत्नि श्री लादूलाल जी
निवासी खटकड़ जिला बूंदी
6 कौशल्या पुत्री स्व0 श्री कजोडीलाल पत्नि श्री सत्यनारायण
निवासी बालीता तह0 लाडपुरा जिला कोटा

.....वादीगण

बनाम

1. श्री बसंती लाल (मृतक) जर्ये कायम मुकामात :–
1/1. प्रेम बाई पुत्री स्व0 बसंती लाल पत्नी अशोक कुमार जाति ब्राह्मण नि0 बालिता तह0 लाडपुरा जिला कोटा
1/2. कैलाश बाई पुत्री स्व0 बसंती लाल पत्नी रामकिशन शर्मा पुजारी निवासी जैन मंदिर पुरानी केकडी जिला अजमेर राज0

.....प्रतिवादी

–: निर्णय :–

दिनांक 1/5/26

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी द्वारा वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्रस्तुत कर निवेदन किया जो निम्न प्रकार है :–

वादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के खाते की भूमि खसरा संख्या 415 ग्राम बालीता तह0 लाडपुरा मे स्थित है। तथा इसके समीप ही पूर्व दिशा मे प्रतिवादी के खाते की भूमि खसरा संख्या 414 स्थित है।
प्रतिवादी खसरा संख्या 114 के पश्चिम की ओर अर्थात वादीगण के खसरा संख्या 415 के पूर्वी ओर निर्माण करने पर आमादा है इस हेतु प्रतिवादी ने वादी नम्बर 1 लगायत 5 के खसरा संख्या 415 की भूमि के पूर्व की ओर लगभग 4 फीट जमीन को दबाते हुए 12 फीट की लम्बाई में नीवं खोदना शुरू कर दिया है। तथा निर्माण सामग्री एकत्रित कर ली है। जिससे वादीगण के अधिकारों का कुठाराघात हुआ है।
दौरान दावा प्रतिवादी ने उपर वर्णित 4*12 फीट भूमि पर नींव भरकर दुकान का निर्माण शटर लगाकर पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया है इसके अलावा लगभग

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

13 फीट लम्बाई में खसरा संख्या 415 की पूर्वी ओर वादीगण की भूमि पर उक्त निर्माण के आगे ही 4 फीट भूमि दबाते हुए सुखे पत्थरों की चुनाई करके दीवार लगभग साढ़े 5 फीट ऊंची बना ली है तथा 13*4 वर्ग फीट भूमि पर ही अवैध रूप से कब्जा कर लिया है इस प्रकार प्रतिवादी ने वादीगण की खसरा संख्या 415 की पूर्वी दिशा में अवैध अनाधिकृत रूप से निर्माण कर कब्जा कर लिया है। जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी को वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है और इस प्रकार प्रतिवादी का उक्त कृत्य सर्वथा अवैध अनाधिकृत एवं अनुचित है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी से उनके खाते व कब्जे की भूमि खसरा संख्या 414 पर निर्माण करने से दिनांक 31/03/1991 को मना किया तो प्रतिवादी झगडा करने पर आमादा हुआ

यद्यपि वादी संख्या 6 का खाते में नाम नहीं है, किन्तु माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 08.05.1995 के आधार पर वादी संख्या 6 कौशल्या को प्रस्तुत वाद में वादनी बनाया गया है।

वाद कारण दिनांक 21/03/1991 को वादी द्वारा प्रतिवादी से उनके खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा संख्या 415 पर निर्माण करने से रोकने पर प्रतिवादी द्वारा मना करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा दौरान दावा वादीगण की खसरा संख्या 415 की पूर्वी दिशा की भूमि पर निर्माण कर कब्जा कर लिये जाने पर इस माननीय न्यायालय की सीमा में पैदा हुआ है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वह वादीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 415 पर निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न अपने किसी एजेन्ट प्रतिनिधि से ही करवायें और यदि दौरान वाद उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर ले तो उसे बेदखल करने की डिक्री प्रदान की जावे। तथा प्रतिवादी द्वारा वादीगण के खसरा संख्या 415 में पूर्वी दिशा की ओर 4*12 वर्ग फीट भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किये गये निर्माण को तुडवाया जाकर कब्जा दिलाया जावे इसी निर्माण के आगे खसरा संख्या 415 की भूमि पर 13 फीट लम्बाई में व 4 फीट चौड़ाई की भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे।

प्रतिवादी की ओर से वादी के वादपत्र के विरूद्ध प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया है जो निम्न प्रकार है:–

वादपत्र का चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी खसरा संख्या 415 के खातेदार कृषक वादीगण के अलावा रामभरोसी, चन्दा, कौशल्या पुत्री कजोडीमल सहकृषक है तथा प्रतिवादी खसरा नम्बर 414 का खातेदार कृषक है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद पत्र का चरण क्रम 3 का प्रत्युतर इस प्रकार है कि वादीगण तथा रामभरोसी, चन्दा एवं कौशल्या खसरा संख्या 415 रकबा 0.19 हैक्टर मौजा बालिता के खातेदार कृषक है खसरा संख्या 414 रकबा 0.27 है0 वादीगण के उक्त आराजी की पूर्व दिशा मे है जिस पर काबिज होकर प्रतिवादीगण काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा नम्बर 415 की रकबा 0.19 हैक्टर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है और न कभी ऐसा कृत्य किया है। जिसे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो।
वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है।

बाद जवाब दावा निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया विवादित आराजी खसरा संख्या 415 की पूर्व की ओर प्रतिवादी ने वादीगण की जमीन खसरा संख्या 415 की 4 फीट दबाते हुये लम्बाई 13 फिट दबाते हुये कार्य कर लिया है?.....वादी
2. आया कथित निर्माण प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ करने पर वाद कारण दिनांक 21.03.1991 से उत्पन्न हुआ है?.....वादी
3. आया वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकारी है?..... वादी
4. क्या प्रतिवादी ने वादी की आराजी खसरा संख्या 415 रकबा 0.19 हैक्टर पर कोई अतिक्रमण किया है?.....प्रतिवादी

बहस उभयपक्ष सुनी गई।
विद्वान अभिभाषक वादी का कथन है कि तहसील रिपोर्ट से अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है तथा प्रतिवादी द्वारा उनके हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य किया गया हैं

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी का कथन है कि तहसील की मौका रिपोर्ट का विस्तृत विवेचन पूर्व मे ही न्यायालय द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र के निर्णय मे किया जा चुका है। न्यायालय पूर्व मे ही अपने निर्णय दिनांक 27.01.1996 मे यह निर्धारित कर चुका है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट संदेहास्पद होने से अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नही होता है।

हमने पत्रावली और संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

1. **आया विवादित आराजी खसरा संख्या 415 की पूर्व की ओर प्रतिवादी ने वादीगण की जमीन खसरा संख्या 415 की 4 फीट दबाते हुये लम्बाई 13 फिट दबाते हुये कार्य कर लिया है ?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन रहा है कि नायब तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट दिनांक 28.10.1991 प्रदर्श 2 पत्रावली मे संलग्न है। संलग्न रिपोर्ट अनुसार मकान का निर्माण खसरा संख्या 415 मे किया जाना प्रमाणित है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीगण द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा मे प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.01.1996 द्वारा उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट संदेहास्पद होने से अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण होना प्रमाणित नही होता है। वादीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील किया जाना भी प्रमाणित नही होता है।

हमने पत्रावली मे संलग्न न्यायालय निर्णय दिनांक 27.01.1996 का अवलोकन किया। निर्णय अनुसार– " मौके पर पैमाईश करते वक्त मुस्तकिम बिन्दु खसरा संख्या 428 पर स्थित गैर मुमकिन चाह को माना गया है जबकि रिपोर्ट कमिश्नर मे दर्ज तफ्तीश के मुताबिक खसरा संख्या 428 का 0.01 है गैर मु0 रास्ता सिवायचक नाका बिल काश्त दर्ज है और मौके पर वर्तमान मे पनघट का कुआं है यह कुआं कब बना इसका इवाला नही है। अतः वकील वादी की मुस्तकिल बिन्दू सही नही कायम किए जाने बाबत आपत्ति स्वीकार योग्य है। मुस्तकीम बिन्दू कवेल गत मिसल बन्दोबस्त में दर्ज रिकोर्ड के आधार पर हीह तय किया जाना चाहिए था, जो नही किया गया। अतः इस बिन्दू से किए गए नाम को दुरूस्त नही माना जा सकता। अलावा इसके कमिश्नर द्वारा अपने बयानों मे मौके पर खसरा संख्या 415 की चारों भूजाएं मापना तो बताया लेकिन उउनकी लम्बाई के बारे मे उन्हे कुछ भी ज्ञान नही है। उन्होनें नक्शा पैमाईश कच्चे कागज पर बनाना बताया है जबकि यही एक विवाद का बिन्दू था और मौके नक्शा 415 की तफ्तीश हर लिहाज से परिपूर्ण होनी चाहिए थी जो नही की गई। कमिश्नर द्वारा मौके पर खसरा संख्या 414 के क्षेत्रफल का निर्धारण भी नही किया गया जिससे यह ज्ञान नही हो सकता कि खसरा संख्या 414 की आस पास की कैफियत क्या है। मुस्तकिल बिन्दू गांव के नक्शे मे दर्ज होना बयानों मे कमीश्नर द्वारा बताया गया है जबकि उस नक्शे का एबस्ट्रेक्ट प्रस्तुत नही किया। अतः मौका रिपोर्ट को शुद्धता प्रमाणित नही हो पाई है। इस संबंध मे वकील वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे ए.आई.आर. 1991 उडीसा पेज 6, एआईआर 1990 उडीसा पेज 32, आरआरडी 1983 पेज 88, आरआरडी 1986 पेज 78 वर्तमान मामले पर चस्पा होती है। मौका रिपोर्ट कमिश्नर संदेहास्पद होने से अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नही हो पाया है।

पत्रावली के अवलोकन से उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील किया जाना प्रमाणित नही होता है। इस कारण न्यायालय द्वारा पूर्व निर्धारित तथ्य अंतिम हो जाता है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कि अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नही होता है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावजों से प्रमाणित होता है कि इसके उपरांत भी प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अन्य साक्ष्य या शहादत प्रस्तुत नही की गई है जो उनके कथनों को प्रमाणित कर सके। अतः तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

2. **आया कथित निर्माण प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ करने पर वाद कारण दिनांक 21.03.1991 से उत्पन्न हुआ है?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

तनकी नं0 1 मे किये गये विस्तृत विवेचन उपरांत अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नही माना गया है। अतः वादी यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ हो।

अतः तनकी नं0 2 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

3. **आया वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकारी है?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

तनकी नं0 1 व 2 के विवेचन अनुसार वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया हो। इस कारण वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः तनकी नं0 3 विरूद्ध वादी तय की जाती है।

4. **क्या प्रतिवादी ने वादी की आराजी खसरा संख्या 415 रकबा 0.19 हैक्टर पर कोई अतिक्रमण किया है?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

तनकी नं0 1 के विवेचन अनुसार वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया हो। अतः तनकी नं0 4 बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

5. **अनुतोष –**

तनकी नं0 1, 2 व 3 विरूद्ध वादी तय की गई है। तथा तनकी नं 04 बहक प्रतिवादी तय की गई है। उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा